(82)

संख्या 29 / XIII-(II)/09(07) / 2011

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य परियोजना निदेशक,
जलागम प्रबन्ध निदेशालय,
देहरादून।

कृषि एवं विपणन अनुभाग–2 देहरादून दिनांक: 29 फरवरी, 2012

विषय–अवमानना वाद संख्या 83 ऑफ 2011 दिनेश चन्द्र भट्ट बनाम श्री सुभाष कुमार, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन व 02 अन्य एवं अवमानना वाद संख्या– 219 ऑफ 2007 दिनेश चन्द्र भट्ट व अन्य बनाम श्री एम0एच0 खान व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.01.2012 का अनुपालन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2109 / 17–54 दिनांक 31 जनवरी, 2012 एवं पत्र संख्या 2166 / 17–54(ब) दिनांक 04 फरवरी 2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका संख्या 4501 / एस.एस. / 2001 दिनेश चन्द्र भट्ट बनाम राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय दिनांक 22.08.2003 एवं उक्त रिट याचिका से उत्पन्न अवमानना वाद संख्या 83 ऑफ 2011 दिनेश चन्द्र भट्ट बनाम श्री सुभाष कुमार, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन व 02 अन्य एवं अवमानना वाद संख्या 219 ऑफ 2007 दिनेश चन्द्र भट्ट व अन्य बनाम श्री एम0एच0 खान व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.01.2012 के अनुपालनार्थ याचीगणों के विनियमितीकरण हेतु तत्काल प्रभाव से श्री राज्यपाल महोदय एतद्द्वारा समूह 'ग' एवं 'घ' के अधिसंख्य पदों की निम्नवत स्वीकृति प्रदान करते है :–

क्र0 सं0	पदनाम	वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन	सृजित अधिसंख्य पदों की संख्या
1	2	3	4	5
	समूह 'ग'			
1	कनिष्ठ सहायक	5200–20200	1900	5
2	इलैक्ट्रीशियन	5200–20200	1900	1
3	वर्क सुपरवाईजर	5200–20200	1900	1
	योग			7
	समूह 'घ'			
4	चपरासी / चौकीदार / अर्दली / डाकिया	5200–20200	1800	28
5	माली	5200–20200	1800	7
6	प्लम्बर	5200–20200	1800	1
7	स्वच्छक / सफाई कर्मचारी	5200–20200	1800	4
	योग			40
	कुल योग			47

(सैंतालिस पद)

2— प्रश्नगत अवमानना वाद मे मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.01.2012 के अनुपालन हेतु उक्त अधिसंख्य पद अपवाद स्वरूप सृजित किये जा रहे हैं। अतः इन्हें भविष्य में अन्य प्रकरणों में दृष्टान्त नहीं बनाया जा सकेगा।

3— उक्त अधिसंख्य पदों पर विनियमित होने वाले याचीगणों की सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, मृत्यु, त्यागपत्र, विभाग में नियमित पद उपलब्ध होने अथवा अन्य कारणों से रिक्त होने पर यह पद स्वतः समाप्त समझे जायेंगे। इलैक्ट्रीशियन तथा वर्क सुपरवाईजर के लिए भविष्य में कनिष्ठ सहायक का पद रिक्त होने पर अधिसंख्य पद समाप्त हो जायेगा परन्तु इन्हें कनिष्ठ सहायक पदधारक को अनुमन्य पदोन्नति का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

4— दैनिक वेतन पर रोक के उपरान्त भी बिना स्वीकृत पद के दैनिक वेतन पर कार्मिकों को रखने के संदर्भ में हुई वित्तीय अनियमितता/लापरवाही के लिए चार सप्ताह के भीतर जॉच कर दायित्व भी निर्धारित किया जायेगा।

5— यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या 181 दिनांक 29.02.2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
सचिव

संख्या 29(1) /XIII-II/2012–09(07)/2011 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इंटरनल ऑडिटर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. प्रमुख सचिव, मा. श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग/कार्मिक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनीषा पंवार)
सचिव।